बनाम

1. संजीवकुमार पुत्र लालचन्द
2. सन्तरादेवी पत्नी लालचन्द
3. सुमन
4. सुलोचना पुत्रियां लालचन्द जाति जाट निवासीगण भूरियो की ढाणी तन भोजनगर तन टोंकछिलरी तहसील नवलगढ जिलां झुन्झुनू

—अनावेदकगण

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा

ऐडवोकेट आवेदक :— श्री विजेन्द्र सिंह दूत
ऐडवोकेट अना0 :— —

आदेश

दिनांक 01.08.2019

आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम शिवनगर तन टोंक छिलरी की सरहद में ख.न.. 81/1.48, 82/0.61 कुल रकबा 2.09 है0 स्थित है जो आवेदक व अनावेदकगण एवं अन्य सह हिस्सेदारो की शामलाती खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है जिसके संबंध में आवेदक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश कर रहा है। आगे प्रश्नगत भूमि के नाम से संबोधित किया गया है। आवेदक व अनावेदकगण स्व0 लालचन्द के वारिसान हैं जिसका प्रश्नगत कृषि भूमि में 7/180 हिस्सा यानि कुल 7/36 हिस्सा दर्ज है ओर शेष 29/36 हिस्सा अन्य सहहिस्सेदारो का दर्ज है जिसमें 1/12 हिस्सा आवेदक की दादी मोहनीदेवी का भी शमिल है, जिसका स्वर्गवास हो गया तथा जिसके 1/12 हिस्से में आवेदक व अनावेदकगण का 1/36 हिस्सा है जिसके मुताबिक स्व0 लालचन्द के वारिसानि आवेदक व अनावेदकगण प्रत्येक का 2/45 हिस्सा यानि कुल भूमि में 2/9 हिससा है। इसी प्रकार से आवेदक व अनावेदकगण अपने हिस्से की भूमि पर मौखिक विभाजन करके काबिज व आबाद है और उपयोग उपभोग करते हैं। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि ता फैसला दावा अनावेदकगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि प्रश्नगत कृषि भूमि ख.न. 81/1.48, 82/0.61 कुल रकबा 2.09 है0 में आवेदक का कुल हिस्सा 2/45 के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में कोई बाधा व अवरोध पैदा नही करे तथा शामलाती कृषि भूमि का विधिवत विभाजन से करवाये बिना निश्चित भू भाग किसी अजनबी व्यक्ति को विक्रय नही करे और ना ही भूमि को वेस्ट एण्ड डेमेज नही करे रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज पंजिका किया जाकर तलबी अनावेदकगण की गई। अनावेदकगण बावजूद नोटिस तामील के उपस्थित नही होने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अतः बहस वकील आवेदकगण सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा धारा 212 रा.का.अधि. के निस्तारण के लिये न्यायालय को तीन बिन्दुओं जिनमे प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति देखनी होती हैं।

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

Scanned by CamScanner

1. प्रथम दृष्टया मामला:– नकल जमाबंदी संवत 2075–2078 के अनुसार भूमि ख.न. 81 / 1.48, 8220. 61 किता 2 कुल रकबा 2.9 है0 में आवेदक सहखातेदार काश्तकार है। अतः प्रथम दृष्टया मामला आवेदक का बनता है।
2. सुविधा का सन्तुलं व अपूर्णीय क्षति :– आवेदक वादग्रस्त आराजी का सहखातेदार होने से सुविधा का संतुलन होने से आवेदक की अपूर्णीय क्षति होने की संभावना है।

इसप्रकार उक्त तीनों बिन्दुओं के आधार पर आवेदक का प्रार्थना पत्र न्यायोचित होने के कारण र्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है। अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 29.05.2019 को न्फर्म की जाती है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफतर हो तथा मूल वाद के सलग्न रहे। निर्णय आज दिनांक 01.08.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

1/8/19

(मुरारी लाल शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

Scanned by CamScanner